राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3055/2024

हरिनारायण मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, पीएचईडी, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.10.2024
आदेश की दिनांक : 20.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी आदेश दिनांक 01.03.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी गई है, जिसके अनुसार अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 13 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवैध तरीके से निलंबित कर दिया गया है क्योंकि आलौच्य आदेश पारित करते समय अपीलार्थी के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई थी। अपीलार्थी ने निलंबन आदेश को रद्द करने के लिए दिनांक 09.09.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया लेकिन अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं लिया गया। अपीलार्थी वर्ष 2015 में पीएचई विभाग में जेईएन के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी को अक्टूबर 2021 के महीने में पीएचईडी सब डिवीजन दूदू में स्थानांतरित किया गया था और तब से वह वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्य कर रहा है। अपीलार्थी को सीसीए नियमों के नियम 13(1) के तहत शक्तियों का उपयोग करके निलंबित किया गया था। निलंबन आदेश के अवलोकन के अनुसार, अपीलार्थी के खिलाफ जांच की जानी चाहिए। वास्तव में, निलंबन आदेश पारित करने के समय कोई जांच नहीं की गई है और अपीलार्थी के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान अपीलार्थी का मुख्यालय मुख्य अभियंता, पीएचईडी प्रशासन, राजस्थान, जयपुर का कार्यालय निर्धारित किया गया है। अपीलार्थी एक अनुशासित कर्मचारी होने के नाते मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रशासन, जयपुर के कार्यालय में निलम्बित करने

पर अपना कार्यभार ग्रहण किया तथा तब से वह पिछले सात माह से निलम्बित अवस्था में मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जयपुर के कार्यालय में कार्य कर रहा है। अजय चौधरी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, जिसमें प्रावधान है कि आरोप पत्र 45 दिनों के भीतर कार्मिक विभाग को भेजा जाना चाहिए और आरोप पत्र तीन महीने की अवधि के भीतर दिया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार यदि निलंबन की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर आरोप पत्र नहीं दिया जाता है, तो निलंबन आदेश स्वतः ही अस्तित्व में नहीं रहेगा। वर्तमान मामले में दिनांक 01.03.2024 को निलंबन आदेश जारी किया गया था और आज तक अपीलार्थी को कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है और तब भी निलंबन आदेश को रद्द नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानून के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय अधिकरण ने भी कई निर्णय पारित किए। इस संबंध में प्रासंगिक निर्णयों की प्रति अनुलग्नक–3 पर अवलोकनीय है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.03.2024 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को पीएचईडी विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर नियमित वेतन और सभी लाभों के साथ कार्य करने की अनुमति दें।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विभागीय आदेश दिनांक 01.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया था, अन्य अंकित विवरण में यह तथ्य कि अपीलार्थी को बिना जांच निलम्बित किया गया है, सही तथ्य अंकित नही होने के कारण अस्वीकार है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता, क्षेत्र जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक जांच रिपोर्ट अनुसार जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत बीसलपुर दूदू जलप्रदाय योजना में 108 ग्राम एवं 289 ढाणियों हेतु उच्च जलाशय स्वच्छ जलाशय पम्प हाउस एवं पाईप लाईन (अनुमानित लागत राशि रू. 14981 करोड़ कार्य में) के कार्यों में कम गहराई पर पेयजल लाईन बिछाने तथा विभागीय अभियंता एवं संवेदक द्वारा मिलीभगत कर गैर रिहायशी क्षेत्र में भू माफियाओं के संरक्षण एवं व्यक्तिगत लाभ हेतु विभागीय पेयजल वितरण लाईन को अनावश्यक रूप से डालने की शिकायत की जांच हेतु योजना के तहत किये गये कार्यों का निरीक्षण दल द्वारा मौका मुआयना कर तैयार प्राथमिक जांच रिपोर्ट अनुसार दूदू–नरेना रोड़ पर मौके पर पेयजल लाईन कम गहराई में लाईन डाली हुयी पायी जाने तथा कार्य की मापपुस्तिका में अंकित गहराई मौके पर पाई गई गहराई के अनुरूप नही होने दूदू–मालपुरा रोड पर डाली गई वितरण तंत्रिका का व्यास लगभग 1500 मीटर लम्बाई में समान रूप से 225 एमएम होना तकनिकी रूप से तर्क संगत नही होने तथा पेयजल वितरण तंत्र के अंतिम छोर से लगभग 250 मीटर लम्बाई में कोई भी जल संबंध नही होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाये जाने के संबंध में उक्त

प्राथमिक जांच रिपोर्ट में अंकित अनियमितताओं एवं कृत्यों के दृष्टिगत अपीलार्थी तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता एवं अन्य के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), 1958 के नियम 16 के तहत संयुक्त विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित होने के फलस्वरूप उक्त नियमों के नियम–13 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक 01.03.2024 द्वारा निलम्बित किया गया। अपीलार्थी को निलम्बित किये जाने की पुष्टि कार्मिक विभाग के द्वारा दिनांक 06.03.2024 को कर दी गई जिसकी प्रति अनुलग्नक आर–3 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी को दिनांक 04.10.2024 को सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये जा चुके है जिसकी प्रति अनुलग्नक आर–4 पर संलग्न है। निलम्बित राजसेवकों को निलम्बन से बहाल करने/निलम्बन को जारी रखने का निर्णय प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग की आज्ञा दिनांक 22.02.2005 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया जाता है। अतः अपीलार्थी के निलम्बन से बहाली के संबंध में निर्णय उक्त गठित समिति द्वारा आयोजित बैठक में लिया जाना है। प्रकरण में सहआरोपी भगवानदास तत्कालीन अधिशाषी अभियंता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर मुख्य अभियंता (प्रशासन) द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी अनुसार अनियमितता के लिए उत्तरदायी नही पाये जाने पर सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय अनुसार ही कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 06.09.2024 द्वारा भगवानदास के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण को समाप्त किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 01.03.2024 के द्वारा निलंबित किया गया था एवं आरोप पत्र अन्तर्गत 16 सीसीए अपीलार्थी को जारी किया जा चुका है। निलम्बन अवधि को लगभग 10 माह हो चुके है। अतः प्रकरण के तथ्यों के मध्यनजर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रकरण को कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 12.04.2022 से गठित पुनरावलोकन कमैटी के समक्ष इस निर्णय से एक माह की अवधि में समस्त तथ्यों सहित विचारार्थ रखा जावे तथा पुनरावलोकन कमेटी अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करने के सबंध में सभी तथ्यों पर विचार करते हुए इस निर्णय से एक माह की अवधि में समुचित आदेश पारित करें एवं अपीलार्थी को सम्यक रूप से सूचित किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)